



विक्रम साराभाई भवन,  
Vikram Sarabhai Bhavan,  
दूसरा तल, उत्तर स्कंध,  
2<sup>nd</sup> floor, North Wing,  
अणुशक्तिनगर/ Anushaktinagar,  
मुंबई / Mumbai 400 094

भारत सरकार  
Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग  
Department of Atomic Energy

निर्माण सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय  
Directorate of Construction, Services & Estate Management

### सूचना/NOTICE

#### इस निदेशालय के पेंशनभोगियों/परिवार-पेंशनभोगियों हेतु पेंशन अदालत **Pension Adalat for Pensioners/Family Pensioners of this Directorate**

इस निदेशालय के पेंशनभोगियों/परिवार-पेंशनभोगियों की व्यथाओं/शिकायतों पर विचार करने एवं उनके निवारण हेतु दिनांक 18 सितंबर, 2018 (मंगलवार) 3.00 बजे अपराह्न को "पेंशन अदालत" नियत की जा रही है। इस अदालत में पेंशन एवं पेंशन लाभ संबंधी शिकायतों पर विचार किया जायेगा। पहले से निपटाई गई/ उत्तर दी गई/ मुकदमेबाजी के तहत जो शिकायतें हैं या जिनमें पूरी तरह से कानूनी मुद्दे सम्मिलित हैं जैसे उत्तराधिकार तथा नीति संबंधी मामलों पर इस अदालत में विचार नहीं किया जायेगा। निसेसंप्रति के पेंशनभोगी तथा परिवार-पेंशनभोगी अपनी व्यथा/शिकायतें, यदि हैं तो, मुख्य प्रशासन अधिकारी, निर्माण, सेवा एवं प्रबंध निदेशालय, वि.सा.भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई-400094 को इस वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में भेज सकते हैं। इस अदालत में दिनांक 14.09.2018 तक प्राप्त व्यथा/शिकायतों पर विचार किया जायेगा।

A "PENSION ADALAT" is scheduled to be held on 18<sup>th</sup> September, 2018 (Tuesday) at 3.00 p.m. to consider and redress grievances of pensioners/family pensioners of this Directorate. Grievances concerning pension and pensionary benefits would be considered in the Adalat. Grievances already settled/replied/under litigation or involving purely legal points e.g. succession and policy matters will not be considered in the Adalat. DCSEM pensioners and family pensioners may send their grievances, if any, to Chief Administrative Officer, Directorate of Construction Services & Estate Management, V.S. Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai 400 094 in the prescribed format which is available on this website. Grievances received upto 14.9.2018 shall be considered in the Adalat.

विधिवत्भरे हुए एवं हस्ताक्षरित शिकायत प्रपत्र की स्कैन प्रति ई-मेल द्वारा भी [cao@dcsem.gov.in](mailto:cao@dcsem.gov.in) को भेजी जा सकती है।

Scanned copy of the duly completed and signed Grievance Format may be sent by e-mail also to [cao@dcsem.gov.in](mailto:cao@dcsem.gov.in).

(बी.पी.जोशी B.P.Joshi) 6/9/18

मुख्य प्रशासन अधिकारी Chief Administrative Officer



पेंशन अदालत में शिकायत पर विचार करने हेतु प्रपत्र

PROFORMA FOR SUBMITTING GRIEVANCE FOR CONSIDERATION IN THE PENSION ADALAT

(कार्यालय उपयोग हेतु For Office Use only)

डायरी संख्या Diary No.

1. शिकायतकर्ता का नाम Name of Complainant : \_\_\_\_\_

2. पत्राचार हेतु पता Address for correspondence : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. ई.मेल आईडी Email ID : \_\_\_\_\_

4. मोबाईल नं. Mobile No. \_\_\_\_\_

5. पेंशनकर्ता का नाम Name of Pensioner : \_\_\_\_\_

6. सेवा-निवृत्ति का वर्ष Year of Retirement: \_\_\_\_\_

7. सेवा-निवृत्ति के समय किस पद पर थे Last post Held \_\_\_\_\_

8. पीपीओ नं. PPO No. : \_\_\_\_\_

9. शिकायत का विवरण Grievance in Detail :

(यदि आवश्यक हों तो अतिरिक्त पृष्ठ लगाए please attach additional sheet, if needed)

स्थान Place:

दिनांक Date:

हस्ताक्षर

Signature \_\_\_\_\_